

Serial No.

2308

A-TP/MEDF-M-C

NOTING AND DRAFTING, PRECIS WRITING

Time Allowed : Three Hours

Maximum Marks : 200

INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

There are SIX questions printed both in HINDI and in ENGLISH.

Question No. 1, 2, 3, 4 and 5 are compulsory.

Question No. 6 has SIX parts, out of which FOUR are to be attempted.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the English or Hindi medium as authorized in the Admission certificate which must be stated clearly on the cover of the answer book in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the answer book must be clearly struck off.

Note : The name of your office or your name, roll number or address must not be disclosed anywhere in the answers.

Use XXXXX or YYYYY or ZZZZZ etc in case any of the above are required in answers.

ध्यान दें : अनुदेशों का हिन्दी रूपान्तर इस प्रश्न-पत्र के पिछले पृष्ठ पर छपा है।

1. Make a précis of the following passage in about 250 words and suggest a title for it :

40

India is a diverse country, a fact that is visibly prominent in its people, culture and climate. From the eternal snows of the Himalayas to the cultivated peninsula of south, from the deserts of the west to the humid deltas of the east, from the dry heat and cold of the central plateau to the cool forest foothills, Indian lifestyles clearly glorify the geography. The food, clothing and habits of an Indian differ in accordance to the place of origin.

India is a colourful canvas portraying a unique assimilation of ethnic groups displaying varied cultures, languages and religions. This uniqueness in the ethnicity of the country is the factor that makes it different from other nations. The Indian culture varies like its vast geography. People speak in different languages, dress differently, follow different religions, eat different food but are of the same temperament. So whether it is a joyous occasion or a moment of grief, people participate whole-heartedly, feeling the happiness or pain. A festival or a celebration is never confined to a family or a home. The whole community or neighbourhood is involved in bringing liveliness to an occasion. Likewise, an Indian wedding is a celebration of union, not only of the bride and groom, but also of two families, may be cultures or religion too ! Similarly, in times of sorrow, neighbours and friends play an important part in easing out the grief. Indians follow the Doctrine of Karma that preaches that every person should behave justly as every act or deed comes back in full circle in one of the births of an individual.

India's history and culture is dynamic, spanning back to the beginning of human civilization. It begins with a mysterious culture along the Indus river and in farming communities in the southern India. Since ancient times, the spiritual land of India has displayed varied hues of culture, religion, race, language, and so on. This variety in race, culture, religion, etc. accounts for the existence of different ethnic groups who, although, live within the sanctums of one single nation, profess different social habits and characteristics. Regional territories in India play an important role in differentiating these ethnic groups, with their own social cultural and religious identities. With 35 different states and union territories, 22 different languages and hundreds of other dialects that add to the multilingual nature of the country, there has originated a sense of regionalism, which eventually fuse through a common bond to showcase a national cultural identity.

The global image of India is that of an upcoming and progressive nation. India has leaped many boundaries in all sectors — commerce, technology, development etc in the recent past, yet she has not neglected her other creative genius. Wondering what it is ? Well,

1. निम्नलिखित लेखांश का लगभग 250 शब्दों में सार लिखिए और उसके लिए एक शीर्षक भी सुझाइए :

40

भारत एक विविध देश है, यह तथ्य उसके जन-साधारण, संस्कृति एवं जलवायु में स्पष्टतया दिखाई देता है। हिमालय की अनंत हिमराशि से दक्षिण के कृष्ण प्रायद्वीप तक, पश्चिम की मरुभूमियों से पूर्व के आर्द्ध डेल्टाओं तक, केंद्रीय पठार की शुष्क गर्मी और सर्दी से ठंडी वन पादगिरियों तक, भारतीय जीवनशैली स्पष्टतया भूगोल का महिमामंडन करती है। किसी भी भारतीय का आहार, पहनावा और आदतें उसके मूलस्थान के अनुसार अलग-अलग हैं।

भारत एक रंगबिरंगा कैन्वस है, जिसमें विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों को दर्शाने वाले जातीय समूहों के एक अद्वितीय स्वांगीकरण को चित्रित किया गया है। देश की जातीयता में यह अद्वितीयता एक ऐसा कारक है, जो उसको अन्य राष्ट्रों से भिन्न बना देता है। भारत की संस्कृति उसके विशाल भूगोल के सदृश बदलती है। लोग अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग-अलग वेशभूषा पहनते हैं, अलग-अलग धर्मों का अनुसरण करते हैं, अलग-अलग प्रकार का भोजन करते हैं, परंतु उनका स्वभाव एक-सा ही होता है। इसलिए, चाहे कोई खुशी का मौका हो या कि ग़मी का, लोग खुशी या दुःख महसूस करते हुए पूरे मन से उसमें भाग लेते हैं। कोई भी उत्सव या समारोह कभी भी परिवार या घर तक सीमित नहीं रहता है। मौके की सजीवता लाने में समस्त समुदाय या पड़ोस शामिल होता है। इसी प्रकार, भारतीय विवाह सम्प्रिलन का समारोह होता है, केवल वर और वधू का नहीं, बल्कि दो परिवारों का, या यों कहिए कि संस्कृतियों या धर्मों का। इसी प्रकार शोक के समय, पड़ोसी और मित्र दुःख को आसान बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के लोग कर्म के सिद्धांत का अनुसरण करते हैं, जो उपदेश देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहिए क्योंकि उसका प्रत्येक कृत्य धूम कर व्यक्ति के किसी न किसी जन्म में चक्कर काटकर वापस आ जाता है।

भारत का इतिहास और संस्कृति गत्यात्मक हैं, जो मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही चले आ रहे हैं। वे सिंध नदी के साथ-साथ रहस्यमयी संस्कृति और दक्षिणी भारत में कृषि समुदायों से शुरू होते हैं। प्राचीन काल से, भारत की आध्यात्मिक भूमि ने संस्कृति, धर्म, प्रजाति, भाषा, आदि के विभिन्न रंगों को दर्शाया है। प्रजाति, संस्कृति, धर्म, आदि में यह विभिन्नता ही ऐसे विभिन्न प्रजाति समूहों के अस्तित्व का कारण है, जो यद्यपि एकल राष्ट्र की परिधि में रहते हुए भी, अलग-अलग सामाजिक आदतों और विशिष्टताओं का अनुपालन करते हैं। भारत में प्रदेश इन प्रजातीय समूहों का, उनकी स्वयं की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचानों के साथ, विभेदन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 35 विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, 22 विभिन्न भाषाओं और सैकड़ों अन्य बोलियों के होते हुए जो देश की बहु-भाषाई प्रकृति में वृद्धि करती हैं, प्रादेशिकता की एक भावना का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अन्ततः राष्ट्रीय सांस्कृतिक पहचान दर्शाने के लिए संगलित होकर एक साझे बंधन का रूप ले लेती है।

भारत की वैशिक छवि एक उभरते हुए प्रगतिशील राष्ट्र की है। भारत ने सभी क्षेत्रों—वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, विकास, आदि में अभी हाल में अनेक सीमाएं लांघी हैं, परंतु फिर भी उसने अपनी अन्य सर्जनात्मक प्रतिभा की अनदेखी नहीं की है। आप सोचते होंगे कि वह क्या है ? असल में, वह वैकल्पिक

it is the alternative science that has been continuously practiced in India since times immemorial. Ayurveda, a distinct form of medicine made purely of herbs and natural weeds can cure any ailment. Ayurveda has also been mentioned in the Ancient Indian epics like Ramayana. Even today, when the western concept of medicine has reached its zenith, there are people looking for alternative methods of treatment for their multifarious qualities.

With increasing complexities in one's lives these days, people are perpetually looking for a medium through which they get some peace of mind. This is where another science, that of meditation and spirituality comes in. Meditation and Yoga are synonymous with India and Indian spirituality. Meditation is one of the most important components of Yoga, which is a mind-body therapy involving a series of exercises. The word 'meditation' covers many disparate practices from visualizing situations, focusing on objects or images, thinking through a complex idea, or even getting lost in a provocative book, all qualifying as meditation in the broad sense. However in Yoga, meditation generally refers to the more formal practice of focusing the mind and observing oneself in the moment. Many people from India and abroad resort to yoga and meditation to de-stress and rejuvenate their mind.

The vastness of India's nationalism, accounting to a plethora of cultural extravaganza, religions, etc. is the reason that the country is seen more as a seat for a major world civilization than a mere nation-state. The beauty of the Indian people lies in their spirit of tolerance, give-and-take and a composition of cultures that can be compared to a garden of flowers of various colours and shades which, while maintaining their own entity, lend harmony and beauty to the garden-India !

2. Given below is a summary of the cost and time overrun of projects completed in certain core sectors during the 11th Plan period :

S.No.	Sector	No. of projects	Original cost (Rs. in crores)	Final cost (Rs. in crores)	Time overrun (months)
1	Atomic Energy	3	7628.26	7628.26	2—10
2	Civil Aviation	30	2278.14	2306.57	6—18
3	Coal	24	4795.45	6419.69	20—38
4	Health & Family Welfare	1	71.18	443.15	45
5	Petroleum	48	63880.10	74547.58	10—24

विज्ञान ही है, जिसका अतिप्राचीन काल से भारत में लगातार अनुसरण किया जाता रहा है। शुद्ध रूप से जड़ी-बूटियों और प्राकृतिक खरपतवारों से बनी औषधि का सुस्पष्ट एक रूप, आयुर्वेद, किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है। आयुर्वेद का रामायण जैसे प्राचीन भारतीय महाकाव्यों में जिकर आया है। आज भी, जब चिकित्सा की पश्चिमी संकल्पना अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँच चुकी है, अनेक लोग चिकित्सा की, उनकी विविध गुणों के कारण, वैकल्पिक विधियों को ढूँढते हैं।

आजकल लोगों के जीवन में बढ़ती हुई जटिलताओं के कारण, लोग निरंतर ऐसे माध्यम की खोज करते रहते हैं, जिसके द्वारा उनके मन को कुछ शांति प्राप्त हो जाये। यह वह क्षेत्र है, जिसमें एक अन्य विज्ञान, 'ध्यान' एवं आध्यात्मिकता का विज्ञान सामने आता है। ध्यान और योग भारत और भारतीय आध्यात्मिकता के पर्यायवाची हैं। ध्यान योग के सबसे महत्वपूर्ण अवयवों में से एक है, जो कि एक मन-शरीर चिकित्सा है, जिसमें अभ्यासों की एक शृंखला शामिल है। 'ध्यान' शब्द में स्थितियों की सजीव कल्पना करने से लेकर, वस्तुओं और बिंबों पर फोकस करने, जटिल धारणा के मध्य से विचार करने या यहाँ तक कि विचारोत्तेजक पुस्तक में लीन हो जाने तक की अनेक विषम रीतियां शामिल हैं, जो सभी मोटे तौर पर 'ध्यान' की योग्यता प्राप्त कर लेती हैं। परंतु फिर भी, योग में ध्यान का सामान्यतः अर्थ, मन को केंद्रित करने की और उस क्षण में अपना प्रेक्षण कर लेने की अपेक्षाकृत अधिक औपचारिक रीति है। भारत में और विदेशों में अनेक लोग अपने मन को तनावमुक्त करने और अपने मन को पुनः सबल बनाने के लिए योग का सहारा लेते हैं।

भारत की राष्ट्रिकता की विशालता, जो कि सांस्कृतिक अतिरंजिका, धर्मों, आदि के आधिक्य के कारण ही वह कारण है जिससे देश को केवल एक राष्ट्र-राज्य के बजाय, प्रमुख विश्व सभ्यता के एक निवास-स्थान के रूप में देखा जाता है। भारत के लोगों का सौंदर्य उनकी सहनशीलता, आदान-प्रदान की भावना, और संस्कृतियों के एक संयोजन में वास करता है, जिसकी तुलना विभिन्न रंगों और छवियों के पुष्पों से की जा सकती है, जो अपनी पहचान बनाए रखते हुए उद्यान-भारत में समरसता एवं सौंदर्य प्रदान कर देते हैं।

2. 11वीं योजना अवधि के दौरान कतिपय मूल क्षेत्रों में संपूर्ण परियोजनाओं की लागत और समय अतिक्रमणों का एक सारांश नीचे दिया गया है :

क्रम संख्या	क्षेत्रक	परियोजनाओं की संख्या	मूल लागत (रुपये करोड़ों में)	अंतिम लागत (रुपये करोड़ों में)	समय अतिक्रमण (महीने)
1	परमाणिक ऊर्जा	3	7628.26	7628.26	2—10
2	सिविल विमानन	30	2278.14	2306.57	6—18
3	कोयला	24	4795.45	6419.69	20—38
4	स्वास्थ्य एवं परिवार-कल्याण	1	71.18	443.15	45
5	पैट्रोलियम	48	63880.10	74547.58	10—24

S.No.	Sector	No. of projects	Original cost (Rs. in crores)	Final cost (Rs. in crores)	Time overrun (months)
6	Power	53	45628.78	49120.54	11—44
7	Railways	70	11630.29	24304.57	12—28
8	Road Transport & Highways	120	38569.25	39566.80	4—36
9	Shipping & Ports	20	7959.16	8215.37	10—26
10	Steel	31	7163.56	7211.81	8—34
11	Telecommunications	67	18337.41	17224.60	4—14
12	Urban Development	7	8865.33	19090.18	30—48
	Total	474	216806.91	256079.12	

Put up a note bringing out analysis of the data and suggesting that Secretary (Finance) may like to write to concerned Ministries/Departments to monitor the ongoing projects more closely to reduce their implementation cost and time overruns. Also prepare a draft letter to the Ministries/Departments.

25

3. Cyclone Phailin followed by floods have brought untold misery to millions of people in Andhra Pradesh and Odisha in October 2013, ravaging large parts of the States and devastating life and property, the like of which the country has not faced in living memory. Government agencies and social organizations and even corporates and individuals in those States are busy in relief and reconstruction work but much more needs to be done. There is huge need for food, medicine, clothes and shelter. A number of employees in the Department of Posts with its vast network of offices all over the country, have through their unions and also individually expressed their desire to donate a day's salary towards the relief and rehabilitation of the affected people. Such contributions were made by them in similar situations in the past also.

Prepare a proposal suggesting that Secretary (Posts) may like to make a formal appeal to the employees of the Department urging them to donate their one day's salary for the noble cause and seeking approval for authorizing all the Heads of Postal Circles to collect the amount on a centralized basis and remit the same to the Drawing and Disbursing Officer of the Department in New Delhi, for onward transmission equally to the Chief Minister's Relief Fund of the two States. Also prepare a draft of appeal to the employees.

25

क्रम संख्या	क्षेत्रक	परियोजनाओं की संख्या	मूल लागत (रुपये करोड़ों में)	अंतिम लागत (रुपये करोड़ों में)	समय अतिक्रमण (महीने)
6	विद्युत	53	45628.78	49120.54	11—44
7	रेलवे	70	11630.29	24304.57	12—28
8	सड़क परिवहन और हाईवे	120	38569.25	39566.80	4—36
9	जहाज़रानी और बदंगाह	20	7959.16	8215.37	10—26
10	इस्पात	31	7163.56	7211.81	8—34
11	दूरसंचार	67	18337.41	17224.60	4—14
12	नगरी विकास	7	8865.33	19090.18	30—48
	कुल	474	216806.91	256079.12	

आंकड़ों के विश्लेषण को प्रदर्शित करते हुए एक नोट प्रस्तुत करें जिसमें सचिव (वित्त) को सुझाव दिया गया हो कि यदि वे ठीक समझें तो संबंधित मंत्रालयों/विभागों को चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन-लागत और समय-अतिक्रमण को कम करने हेतु ध्यानपूर्वक अनुश्रवण के लिए पत्र लिखें। मंत्रालयों/विभागों को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप भी तैयार करें।

25

3. चक्रवात 'फैलिन' और उसके बाद बाढ़ों ने अक्टूबर 2013 में आंध्र प्रदेश और ओडीशा में लाखों लोगों के लिए असीम विपत्ति पैदा कर दी है। इन राज्यों के बड़े भाग तहस-नहस हो गए, और जीवन एवं संपत्ति नष्ट हो गई, जिस प्रकार कि यादेगार में देश का इससे पूर्व कभी सामना नहीं हुआ था। इन राज्यों में सरकारी एजेंसियां और सामाजिक संगठन, यहाँ तक कि कार्पोरेट और व्यक्ति, राहत एवं पुनर्निर्माण कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन बहुत अधिक कार्य करने की ज़रूरत है। खाद्यपदार्थों, औषधियों, कपड़ों और शरणस्थानों की बड़ी आवश्यकता है। डाक विभाग में, अनेक कर्मचारियों ने, अपनी यूनियनों के माध्यम से और अकेले अपने तौर पर भी, देश भर में अपने विशाल जाल के साथ, प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए अपने एक दिन के वेतन का दान देने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने इसी प्रकार की स्थितियों में ऐसे अंशदान पहले भी किए हैं।

एक प्रस्ताव तैयार कीजिए जिसमें कि सचिव (डाक) को सुझाव दिया गया हो कि यदि वे ठीक समझें तो महान उद्देश्य के लिए विभाग के कर्मचारियों से एक दिन का वेतन दान करने की एक औपचारिक अपील करें और राशि को केंद्रीकृत आधार पर इकट्ठा करने और नई दिल्ली में विभाग के आहरण और संवितरण अधिकारी को भेजने के लिए डाक मंडलों के सभी प्रधानों को प्राधिकृत करें, जिससे राशि को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री राहत कोष को बराबर-बराबर आगे भेज दिया जाय। कर्मचारियों को अपील का प्रारूप भी तैयार करें।

25

4. The Competent Authority in the Ministry of Road Transport and Highways had placed a Junior Engineer under suspension, pending investigation of the charges contained in a major penalty charge sheet served on him under relevant Rules 'X'. While being under suspension, he was served another charge sheet under the said Rule and the Competent Authority directed that he shall continue to be under suspension until termination of both the proceedings. As no order for extension of the period of his suspension was issued, the Charged Officer reported for duties on expiry of 90 days of his suspension but he was not allowed to join duties on the ground that the charges against him were still under investigation and the orders issued by the Competent Authority are of standing nature not subject to review before 90 days, and therefore he would continue to be under suspension till culmination of the proceedings against him. The Charged Officer disputed the contention of the Ministry and insisted that he was entitled to resume his duties.

Examine the request of the employee and propose a course of action to be taken with reference to the rules on the subject.

Rule 'Y' concerning suspension is as under :

Y. Suspension

(1) The appointing authority or any authority to which it is subordinate or the disciplinary authority or any other authority empowered in that behalf by the President, by general or special order, may place a Government servant under suspension :

- (a) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending; or
- (aa) where, in the opinion of the authority aforesaid, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the State; or
- (b) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial;

Provided that, except in case of an order of suspension made by the Comptroller and Auditor-General in regard to a member of the Indian Audit and Accounts Service and in regard to an Assistant Accountant General or equivalent (other than a regular member of the Indian Audit and Accounts Service), where the order of suspension is made by an authority lower than the appointing authority, such authority shall forthwith report to the appointing authority the circumstances in which the order was made.

(2) A Government servant shall be deemed to have been placed under suspension by an order of appointing authority :

- (a) with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours;

4. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी ने एक जूनियर इंजीनियर को संबंधित नियमावली 'X' के अधीन दिए गए दीर्घ शास्ति आरोप पत्र में शामिल आरोपों की जांच होने तक निलंबनाधीन कर दिया। निलंबनाधीन होते हुए, उपरोक्त नियम के अधीन उसको एक अन्य आरोप पत्र दिया गया और सक्षम प्राधिकारी ने निदेश दिया कि वह दोनों कार्यवाहियों के समापन तक निलंबन की स्थिति में बना रहेगा। चूंकि निलंबन अवधि के विस्तार के लिए कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया था, आरोपित अधिकारी ने अपने निलंबन के 90 दिनों की समाप्ति पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया परन्तु उसको इस आधार पर कि उसके विरुद्ध आरोप अभी भी जांच के अधीन थे और कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश स्थायी प्रकृति के हैं और 90 दिनों से पूर्व समीक्षा किए जाने के अधीन नहीं हैं, और कि वह अपने विरुद्ध कार्यवाही के समापन तक निलंबनाधीन बना रहेगा, उसको ड्यूटी ग्रहण करने नहीं दिया गया। आरोपित अधिकारी ने मंत्रालय के प्रतिविरोध का खंडन किया और आग्रह किया कि वह अपनी ड्यूटी को पुनःग्रहण करने का हकदार था।

कर्मचारी के इस अनुरोध का परीक्षण कीजिए और इस विषय पर नियमों का हवाला देते हुए अपनाई जाने की कार्य-दिशा प्रस्तावित कीजिए।

निलम्बन से संबंधित नियम 'Y' नीचे दिया गया है :

Y. निलम्बन :

(1) नियुक्ति प्राधिकारी या कोई प्राधिकारी जिसका वह अधीनस्थ है या अनुशासनिक प्राधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी, जिसे राष्ट्रपति ने अपने साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस नियमित सशक्ति किया हो, किसी सरकारी सेवक को उस दशा में निलंबित कर सकेगा जब :

- (क) उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही अनुध्यात है या लबित है; या
- (क्क) पूर्वोक्त प्राधिकारी की राय में वह ऐसे क्रियाकलाप में लगा हुआ है जो राज्य की सुरक्षा के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं;
- (ख) किसी दाण्डिक अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है;

परन्तु भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के किसी सदस्य के बारे में तथा सहायक महालेखाकार या उसके समतुल्य (भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के नियमित सदस्य से भिन्न) के बारे में नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए किसी निलम्बन आदेश के सिवाय जहां निलम्बन आदेश नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नतर किसी प्राधिकारी द्वारा किया जाता है, वहां ऐसा प्राधिकारी उन परिस्थितियों, जिनमें आदेश किया गया है की रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को तुरन्त देगा।

(2) यदि किसी सरकारी सेवक को :

- (क) चाहे किसी आपराधिक आरोप के लिए या अन्यथा, अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाता है तो वह निरोध की तारीख से;

(b) with effect from the date of his conviction, if, in the event of a conviction for an offence, he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-eight hours and is not forthwith dismissed or removed or compulsorily retired consequent to such conviction.

EXPLANATION—The period of forty-eight hours referred to in clause (b) of this sub-rule shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose, intermittent periods of imprisonment, if any, shall be taken into account.

(3) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Government servant under suspension is set aside in appeal or on review under these rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.

(4) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a Government servant is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a Court of Law and the disciplinary authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of dismissal, removal or compulsory retirement was originally imposed, the Government servant shall be deemed to have been placed under suspension by the Appointing Authority from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders :

Provided that no such further inquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the Court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case.

“(5) (a) Subject to the provisions contained in sub-rule (7), an order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so.”

(b) Where a Government servant is suspended or is deemed to have been suspended (whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise), and any other disciplinary proceeding is commenced against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension may, for reasons to be recorded by him in writing, direct that the Government servant shall continue to be under suspension until the termination of all or any of such proceedings.

(c) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule may at any time be modified or revoked by the authority which made or is deemed to have made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

(ख) उसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराये जाने पर अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जाता है और ऐसी दोषसिद्ध के परिणामस्वरूप तत्काल पदच्युत नहीं किया जाता है या हटाया नहीं जाता है या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त नहीं किया जाता है तो ऐसी दोषसिद्ध की तारीख से, नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलम्बित किया गया समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपनियम के खंड (ख) में निर्दिष्ट अड़तालीस घंटे की अवधि, दोषसिद्ध के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ से संगणित की जाएगी और कारावास की आन्तरायिक कालावधियों को, यदि कोई है तो, इस प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

(3) यदि निलम्बनाधीन सरकारी सेवक को सेवा से पदच्युत कर दिए जाने/हटा दिए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिए जाने के लिए अधिरोपित कोई शास्ति इन नियमों के अधीन अपील में या पुनर्विलोकन में अपास्त कर दी जाती है और मामला अतिरिक्त जांच या कार्रवाई के लिए या किन्हीं अन्य निदेशों के साथ, पुनः भेज दिया जाता है, तो उसके निलम्बन के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पदच्युत कर दिए जाने/हटा दिए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिए जाने के मूल आदेश की तारीख से ही प्रवृत्त बना हुआ है और आगे आदेश होने तक प्रवृत्त बना रहेगा।

(4) यदि सरकारी सेवक को सेवा से पदच्युत करने, हटाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त करने के लिए उस पर अधिरोपित किसी शास्ति, किसी न्यायालय के विनिश्चय के परिणामस्वरूप या उसके द्वारा अपास्त या शून्य घोषित कर दी जाती है या हो जाती है और अनुशासनिक प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों पर विचार करके, यह विनिश्चय करता है कि उसके विरुद्ध उन अभिकथनों की जिन पर पदच्युत कर दिए जाने, हटा दिए जाने या अनिवार्यतः सेवा निवृत्त कर दिए जाने की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गई थी, अतिरिक्त जांच की जाए, तो सरकारी सेवक के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पदच्युत कर दिए जाने, हटा दिए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त कर दिए जाने के मूल आदेश की तारीख से, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलम्बित कर दिया गया है और आगले आदेश होने तक निलम्बित बना रहेगा।

परन्तु ऐसी अतिरिक्त जांच का आदेश उसी स्थिति में दिया जाएगा जबकि न्यायालय ने मामले के गुणावगुणों पर विचार किए बिना पूर्णतः तकनीकी आधार पर आदेश पारित किया हो।

‘(5) (क) इस नियम के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया निलम्बन का आदेश तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि वह उस प्राधिकारी द्वारा आशोधित या रद्द नहीं कर दिया जाता, जो ऐसा करने के लिए सक्षम है।’

(ख) यदि कोई सरकारी सेवक (चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के संबंध में या अन्यथा) निलम्बित कर दिया जाता है या उसे निलम्बित कर दिया गया समझा जाता है और इस निलम्बन के दौरान उसके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है तो वह प्राधिकारी, जो उसे निलम्बित रखने के लिए सक्षम है, ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, यह निदेश दे सकेगा कि सरकारी सेवक तब तक निलम्बित बना रहेगा जब तक कि ऐसी सभी कार्यवाहियां या उनमें से कोई कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है।

(ग) इस नियम के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया निलम्बन का आदेश किसी भी समय उस प्राधिकारी द्वारा जिसने आदेश किया था या जिसके द्वारा आदेश किया समझा गया था, अथवा उस प्राधिकारी द्वारा जिसके अधीनस्थ वह प्राधिकारी है, आशोधित या रद्द किया जा सकता है।

(6) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall be reviewed by the authority competent to modify or revoke the suspension, before expiry of ninety days from the effective date of suspension, on the recommendation of the Review Committee constituted for the purpose and pass orders either extending or revoking the suspension. Subsequent reviews shall be made before expiry of the extended period of suspension. Extension of suspension shall not be for a period exceeding one hundred and eighty days at a time.

(7) An order of suspension made or deemed to have been made under sub-rules (1) or (2) of this rule shall not be valid after a period of ninety days unless it is extended after review, for a further period before the expiry of ninety days :

“Provided that no such review of suspension shall be necessary in the case of deemed suspension under sub-rule (2), if the Government servant continues to be under suspension at the time of completion of ninety days of suspension and the ninety days period in such case will count from the date the Government servant detained in custody is released from detention or the date on which the fact of his release from detention is intimated to his appointing authority, whichever is later.”

25

5. Due to severe shortage of staff the Department of Steel has been outsourcing the cleaning and associated housekeeping functions of the premises occupied by it in Udyog Bhavan to private agencies during the last 5 years. The performance of those agencies has generally not been satisfactory and of late complaints of unsatisfactory performance and callous attitude of staff of the agency and unhygienic conditions of the premises have gone up considerably. The Department of Industrial Policy and Promotion which has also been having problems with their outsourced agency has proposed that all the Ministries and Departments functioning from the building may engage a single professional agency with advanced cleaning equipments, devices and trained manpower for undertaking the housekeeping and cleanliness activities both within and outside the building on a cost sharing basis proportionate to the area occupied. That Department has agreed to undertake all the work in connection with award of the contract and to be the coordinating agency after award of contract to the successful bidder.

Examine the merits and demerits of the proposal made by the Department of Industrial Policy and Promotion and suggest the course of action to be taken in the matter, for consideration of the Joint Secretary (Administration).

25

(6) इस नियम के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया निलम्बन आदेश, इस प्रयोजनार्थ गठित समीक्षा समिति की सिफारिश पर, निलम्बन की तारीख से नब्बे दिनों की समाप्ति से पहले आशोधित या प्रतिसंहरण करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी और निलम्बन की अवधि बढ़ाते हुए या प्रतिसंहरण करते हुए आदेश पारित किए जाएंगे। परवर्ती समीक्षाएं निलम्बन की विस्तारित अवधि की समाप्ति से पहले की जाएंगी। निलम्बन का विस्तारण एक बार में एक सौ अस्ती दिनों से अधिक नहीं होगा।

(7) इस नियम के उप-नियम (1) या (2) के अधीन किया गया या किया हुआ समझा गया निलम्बन आदेश नब्बे दिनों की अवधि के बाद तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि उसे नब्बे दिनों की समाप्ति से पहले, समीक्षा के बाद आगे और अवधि के लिए विस्तारित नहीं कर दिया जाता :

“परन्तु उप-नियम (2) के अधीन समझे गए निलंबन के मामले में, निलंबन की ऐसी समीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, यदि सरकारी सेवक निलंबन के 90 दिनों के पूरा होने के समय निलंबित बना रहता है और ऐसे मामले में 90 दिनों की अवधि की गणना अभिरक्षा में निरुद्ध सरकारी सेवक की निरुद्ध से रिहाई की तारीख या जिस तारीख को उसकी निरुद्ध की रिहाई की बात उसके नियुक्ति-प्राधिकारी को सूचित की जाती है, इनमें से जो भी पहले हो, से की जाएगी।”

25

5. स्टाफ की गंभीर कमी के कारण, इसपात विभाग पिछले 5 वर्षों से उद्योग भवन में अपने कब्जे के परिसर की सफाई और संबंधित रखरखाव प्रकार्यों का बाह्य-स्नोतन करता रहा है। इन एजेंसियों का कार्य-निष्पादन आमतौर पर संतोषजनक नहीं रहा है और कुछ समय से असंतोषजनक निष्पादन और एजेंसी के स्टाफ के लापरवाह रवैये और परिसर की गंदी दशाओं की शिकायतें बहुत बढ़ती चली गई हैं। औद्योगिक नीति और प्रोन्नति विभाग जिसको भी बाह्य-स्नोतित एजेंसी से समस्याएं होती रही हैं, ने प्रस्ताव रखा है कि भवन से कार्य करने वाले सभी मंत्रालय और विभाग एक ही ऐसी संव्यावसाधिक एजेंसी को नियुक्त कर लें, जिसके पास भवन के अंदर और बाहर गृह-व्यवस्था और सफाई कार्यकलापों के लिए उन्नत सफाई उपकरण, औज़ार और प्रशिक्षित मानवशक्ति हो और जिस पर आने वाले खर्च को अधिकृत क्षेत्रफल के समानुपातिक आधार पर आपस में बांट लिया जाय। उस विभाग ने ठेका देने से संबंधित सभी कार्य करने की, और सफल बोली लगाने वाले को ठेका देने के बाद खुद समन्वयकारी एजेंसी होने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा किए गए प्रस्ताव के गुण-दोषों का परीक्षण कीजिए और संयुक्त सचिव (प्रशासन) के विचारार्थ, इस मामले में अपनाई जाने के लिए कार्य-दिशा सुझाइए।

25

6. Attempt any **FOUR** of the following :

$15 \times 4 = 60$

(a) Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 came into existence on 1-1-1996. It provides for reservation of certain percentage of direct recruitment vacancies in Groups 'A', 'B' and 'C' posts for three categories of persons with disabilities viz. (i) blindness or low vision, (ii) hearing impairment and (iii) locomotor disability or cerebral palsy. In 2001, the Ministry of Social Justice and Empowerment have identified certain jobs/posts suitable to be held by such persons and the physical requirements for all such jobs/posts. In spite of instructions issued from time to time to the Ministries/Depts. to ensure compliance of the reservation orders, progress in this regard has not been found satisfactory. To have a better understanding of the practical problems in implementing the reservation policy and to facilitate, if found necessary, a review of the jobs/posts where reservation for such persons is feasible, it has been decided to authorise Pandit Deen Dayal Upadhyaya Institute for the Physically Handicapped (IPH), New Delhi, a society under the Ministry of Social Justice and Empowerment, to undertake a comprehensive study of the work content/skill requirements of the posts identified for reservation for persons with disabilities in five representative Ministries/Departments viz. Ministry of Agriculture and Cooperation, Ministry of Labour, Dept. of Commerce, Dept. of Posts and Dept. of Public Sector Enterprises and submit a report with suitable recommendations within six months.

Draft a suitable communication to the identified Ministries/Depts. requesting them to extend full cooperation to the authorised representatives of the Institute to facilitate a meaningful study. 15

(b) One of the major causes of the burgeoning current account deficit in India is the large volume of yellow metal being imported into the country year after year. Recent proactive measures like raising the import duty, linking imports to compulsory export of processed gold upto 20% of imports, ban on import of gold coins and medallions by banks, etc. by the Government and Reserve Bank of India have only marginally reduced its imports. For meeting the insatiable demand for gold in the country, the Ministry of Finance has proposed that the 40 or so potential gold mines in the country may be opened up for exploration and production under the public-private partnership mode and accordingly prepared a concept paper in consultation with the various stakeholders.

Draft an Office Memorandum for being sent to the Ministry of Mines, seeking their views on the concept paper at the earliest. 15

6. निम्नलिखित किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

15×4=60

(a) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, 1 जनवरी, 1995 को अस्तित्व में आया था। इसमें समूह 'A', 'B' और 'C' पदों में सीधी भर्ती रिक्तियों में निःशक्त व्यक्तियों की तीन श्रेणियों, यथा (i) दृष्टिहीनता या निम्न दृष्टि, (ii) श्रवण हानि, और गति अशक्तता या सैरिब्रल पालसी, के लिए कुछ विशेष प्रतिशतता के आरक्षण का प्रावधान है। 2001 में, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय ने ऐसे लोगों के द्वारा भरे जाने वाले जॉबों/पदों और ऐसे जॉबों/पदों के लिए शारीरिक आवश्यकता की पहचान की है। आरक्षण आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालयों/विभागों को समय-समय पर जारी की गई हिदायतों के बावजूद, इस संबंध में प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई है। आरक्षण नीति के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याओं की बेहतर समझ पाने के लिए और यदि आवश्यक पाया जाय तो जिन जॉबों/पदों में ऐसे व्यक्तियों का आरक्षण साध्य है, उनकी समीक्षा के लिए, शारीरतः अक्षमों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान (IPH) नई दिल्ली, सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण मंत्रालय के अधीन एक सोसाइटी, जो पांच निरूपक मंत्रालयों/विभागों में अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण के लिए चिन्हित पदों की कार्य अंतर्वस्तु/कौशल आवश्यकताओं का सर्वसमावेशी अध्ययन करने और छह महीनों के अंदर उपयुक्त सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट पेश करने के लिए प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया है। ये पांच निरूपक मंत्रालय/विभाग हैं कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, डाक विभाग और लोक क्षेत्रक उद्यम विभाग।

अर्धवान अध्ययन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए संस्थान के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने का अनुरोध करते हुए, चिन्हित मंत्रालयों/विभागों के लिए एक उपयुक्त पत्र का मसौदा तैयार कीजिए।

15

(b) भारत में वर्धमान चालू खाता घाटे के प्रमुख कारणों में से एक कारण साल दर साल देश में आयात हो रही पीली धातु की बहुत मात्रा है। हाल के आयात शुल्क बढ़ाने, आयातों को आयातों के 20% तक प्रक्रियत सोने के अनिवार्य निर्यात से जोड़ने, बैंकों द्वारा सोने के सिक्कों और तमगों के आयात पर प्रतिबंध लगाने, आदि जैसे सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के हाल के अग्रलक्षी उपायों से उसके आयातों में केवल अति अल्प कमी हुई है। देश में सोने की बुझने वाली मांग को पूरा करने के लिए, वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा है कि देश में लगभग 40 संभाव्य सोना खानों को, लोक-निजी भागीदारी विधा के अधीन, अन्वेषण और उत्पादन के लिए खोल दिया जाय। इसके अनुसार विभिन्न अधिकारियों के साथ परामर्श में एक संकल्पना निबंध तैयार कर लिया है।

खान मंत्रालय को, संकल्पना निबंध पर शीघ्रातिशीघ्र उनके विचारों को प्राप्त करने के लिए, एक कार्यालय ज्ञापन का मसौदा तैयार कीजिए।

15

(c) It has been observed that the procedure prescribed in the Manual of Office Procedure for handling of files and other official papers/records, particularly those relating to referencing, closing of files, keeping them in neat, tidy and presentable condition are generally not being followed now-a-days. Non referencing of papers and documents in files results in diversion of valuable manpower at different levels towards tracing and retrieval of information. Non closure of files in time, may make them bulky, unwieldy and shabby with a number of papers becoming damaged. Records being repository of information essentially required for efficient functioning and management of any progressive organization, the need for their proper handling and preservation hardly needs emphasis.

As a Section Officer in the Department of Telecommunications, draft a circular from the Deputy Secretary (Administration) to all Divisional Heads, Branch Officers and Sectional Heads in the Department advising them to ensure that the prescribed procedures for maintenance of files are strictly followed and a visible improvement is achieved in the file handling system immediately. 15

(d) The Department of Consumer Affairs is operating a plan scheme for upgradation of the testing laboratories under the Bureau of Indian Standards and the Department is getting it implemented through the Bureau. In a review meeting taken by the Department it has been observed that the progress on implementation of the scheme is far from satisfactory and not even 10% of Rs. 50 lakhs released last year as first installment for its implementation has been utilized so far. Even evaluation of the estimates given by the CPWD for expansion of the laboratory buildings has not been completed. Due to underutilization of the funds the budget allocated for the purpose during current year is likely to be unutilised. The Department Related Parliamentary Standing Committee has adversely commented on the slow progress of the scheme and urged the Department to monitor its progress more closely.

Draft a d.o. letter from the Joint Secretary concerned to the Director General, Bureau of the Indian Standards, emphasizing the necessity to speed up implementation of the scheme so that it is fully implemented within the next two years and advising him to constitute a Monitoring Committee under his Chairmanship with senior officers of the Bureau and the Deputy Secretary concerned in the Department as Members. Report on the financial and physical progress of the Scheme should be sent to the Department on a quarterly basis. 15

(e) A Centrally Sponsored Scheme to set up a 100-bedded Girls' Hostel in each of the 3479 identified Educationally Backward Blocks (EBBs) in the country with 90% of the recurring and non-recurring expenditure being met by the Central Government and the rest by the respective State Governments is under implementation from 2009-10. The main objectives of the Scheme are to retain girl students in the age group of

(c) देखा गया है कि फाइलों और अन्य सरकारी काग़ज़ों/रिकार्डों से निपटने के, विशेषकर संदर्भ देने, फाइलों को बंद करने, उनको स्वच्छ, सुव्यवस्थित और प्रस्तुत करने योग्य दशा में बनाए रखने से संबंधित कार्यालय कार्यविधि की नियम पुस्तक में विहित कार्यविधि का आजकल सामान्यतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है। फाइलों में काग़ज़ों और दस्तावेज़ों का संदर्भ न किए जाने का परिणाम विभिन्न स्तरों पर मूल्यवान मानव-शक्ति का सूचना के अनुरेखन और पुनः प्राप्ति की ओर विचलन हो जाना होता है। समय पर फाइलों का अ-समापन, उनको भारी-भरकम, बोझिल और फटेहाल बना सकता है, जिसमें अनेक काग़ज़ क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। रिकार्डों के किसी भी प्रगतिशील संगठन के दक्ष प्रकार्यण एवं प्रबंधन के लिए आवश्यक सूचना के भंडार होने के नाते, उनके समुचित रख-रखाव और परिरक्षण की आवश्यकता पर शायद ही बल देने की ज़रूरत है।

दूरसंचार विभाग में एक अनुभाग अधिकारी के रूप में, उपसचिव (प्रशासन) की ओर से, विभाग में सभी प्रभागीय प्रधानों, शाखा अधिकारियों और अनुभागीय प्रधानों को, एक परिपत्र का मसौदा तैयार कीजिए जिसमें उन्हें सलाह दी जाय कि वे सुनिश्चित करें कि फाइलों के अनुरक्षण के लिए विहित कार्यविधि का कड़ाई से पालन किया जाय और कि फाइल संचालन प्रणाली में तुरत दर्शनीय सुधार प्राप्त कर लिया जाय।

15

(d) उपभोक्ता कार्य विभाग भारतीय मानक ब्यूरो के अधीनस्थ परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए एक योजनागत स्कीम चला रहा है और उसको ब्यूरो के माध्यम से ही कार्यान्वयित कर रहा है। विभाग द्वारा बुलाई गई एक समीक्षा बैठक में यह देखा गया कि स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति संतोषजनक से दूर है और कि स्कीम के कार्यान्वयन के लिए पहली किस्त के तौर पर पिछले साल निर्माणित रु. 50 लाख के 10% का भी अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ तक कि प्रयोगशाला भवनों के विस्तार के लिए CPWD द्वारा दिए गए प्राक्कलनों का मूल्यांकन भी पूरा नहीं किया गया है। निधियों के न्यून उपयोग के कारण विद्यमान वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए नियत बजट के अनुपयोग की संभावना है। विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने इस स्कीम की धीमी प्रगति पर अपनी प्रतिकूल टिप्पणी की है और विभाग को इसकी प्रगति का अधिक ध्यानपूर्वक अनुवीक्षण करने का आग्रह किया है।

संबंधित संयुक्त सचिव की ओर से महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो को लिखे जाने वाले एक ऐसे अर्धशासकीय पत्र का मसौदा तैयार कीजिए, जिसमें स्कीम के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने पर बल दिया गया हो ताकि स्कीम अगले दो वर्षों के भीतर पूर्णरूपेण क्रियान्वयित हो जाय और उसको अपनी अध्यक्षता में एक अनुवीक्षण समिति का गठन करने की सलाह भी दी गई हो, जिसके सदस्य ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारी और विभाग में संबंधित उपसचिव हों। स्कीम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की रिपोर्ट विभाग को त्रैमासिक आधार पर भेजी जानी चाहिए।

15

(e) देश में पहचान किए गए 3479 शैक्षिकतः पिछड़े खंडों में से प्रत्येक में 100-बिस्तरों वाले बालिका होस्टलों की, आवर्ती और अनावर्ती व्यय के 90% का केंद्रीय सरकार द्वारा वहन करने और शेष के अपनी-अपनी राज्य सरकारों द्वारा वहन करने की, एक केंद्र प्रायोजित योजना 2009-10 से कार्यान्वयनाधीन है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य IX से XII कक्षाओं में पढ़ने वाली वय समूह

14-18 years studying in classes IX to XII in secondary schools and make education accessible to larger number of girl students by ensuring that they are not denied the opportunity to continue their studies due to distance to school, parents' financial affordability and other societal factors. Students belonging to SC, ST, OBC, minority communities and BPL families are the main beneficiaries of the Scheme as at least 50% of girls admitted will be from this group.

A review of the progress of the Scheme has revealed that none of the State Govts. have submitted proposals in respect of all the identified districts within their State, the number of hostels approved so far does not even cover 50% of the total identified districts in the country and wherever approvals have been given and first installment of 25% of the project cost released to the State Govts., the physical progress is very tardy. In some cases utilisation certificates have not been received. Draft a letter from Jt. Secretary (Secondary Education), Ministry of Human Resources Development to State Education Secretaries urging them to review implementation of the scheme in their States and forward proposals for the un-covered districts. 15

(f) The Ministry of Road Transport and Highways has been inundated with complaints of misbehaviour, overcharging, etc. by taxi and auto drivers. Complaints of harassment of various kinds are also being received by the Ministry of Tourism from foreign tourists who invariably have to avail the services of taxi drivers from the time they come out of the airports. Taxi drivers normally being at the cutting edge of service providers that the foreign tourists meet as soon as they land in the country, misbehaviour on their part will put the country and its people in very bad light with a lasting impact in the minds of the visitors. In a conference of Directors of Tourism of all States/UTs organised by the Department of Tourism, it was suggested that the taxi and auto drivers all over the country should be subjected to a compulsory etiquette training, at least once in a year, to sensitise them about their permit conditions, ill effects of their misbehaviour, etc. and the necessity to bring in the much needed change in their mindset.

Draft a d.o. letter to Secretaries in the Transport Departments of all States and Union Territories suggesting organization of district level mandatory workshops on behavioural skills for taxi and auto drivers. Participation in the workshop may be made a prerequisite for issuance of commercial licences and grant of annual fitness certificates.

15

14-18 वर्ष की छात्राओं को माध्यमिक स्कूलों में बनाए रखना और स्कूल तक की दूरी, माता-पिता के वित्तीय सामर्थ्य और अन्य सामाजिक कारकों के कारण उनको अपनी पढ़ाई को जारी रखने के अवसर से वंचित न होने को सुनिश्चित करके अपेक्षाकृत अधिक संख्या में बालिका छात्रों तक शिक्षा की पहुँच पैदा करना है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक समुदायों और बीपीएल परिवारों से संबंध रखने वाली छात्राएं इस योजना की प्रमुख लाभार्थी हैं, क्योंकि भरती होने वाली बालिकाओं में से 50% इसी समूह में से होंगी।

इस योजना की प्रगति की एक समीक्षा से रहस्योदयाटन हुआ है कि किसी भी राज्य सरकार ने अपने राज्य के भीतर के सभी चिन्हित ज़िलों के लिए प्रस्ताव पेश नहीं किए हैं, कि अभी तक अनुमोदित होस्टलों की संख्या देश में कुल पहचान किए गए ज़िलों के 50% तक भी नहीं पहुँच पाई है और कि जहाँ कहीं अनुमोदन दिए भी गए हैं और राज्य सरकारों को परियोजना लागत के 25% की पहली किस्त निर्मोचित भी की गई है, वहाँ भी भौतिक प्रगति बहुत सुस्त है। कुछ मामलों में उपयोग प्रमाणपत्र भी नहीं प्राप्त हुए हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव (माध्यमिक शिक्षा) की ओर से राज्य शिक्षा सचिवों को भेजने के एक पत्र का मसौदा तैयार कीजिए, जिसमें अपने-अपने राज्य में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और छूट गए ज़िलों के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए आग्रह किया गया हो।

15

(f) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय टैक्सी और ऑटो चालकों द्वारा दुर्व्यवहार, अधिक दाम वसूलने, आदि की शिकायतों से इबू गया है। पर्यटन मंत्रालय को भी विदेशी पर्यटकों से विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने के समय से टैक्सी ड्राइवरों की सेवाओं का लाभ उठाने की मजबूरी होती है। सामान्यतः टैक्सी ड्राइवर ही ऐसे सेवा प्रदाता होते हैं जिनका सामना विदेशी पर्यटकों को देश में उतरते ही हो जाता है, टैक्सी ड्राइवरों द्वारा दुर्व्यवहार देश और उसके निवासियों की बहुत बुरी छवि प्रस्तुत करता है, जिसका आंतुकों के मनों में दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। पर्यटन विभाग द्वारा संगठित सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन निदेशकों के सम्मेलन में, यह सुझाव दिया गया कि देश भर के टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों को, उनके परमिट की शर्तों, उनके दुर्व्यवहार के बुरे प्रभावों, आदि के प्रति, उनको संवेदनशील बनाने और उनकी मानसिकता में अति आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए, वर्ष में कम से कम एक बार उनको अनिवार्य शिष्टाचार प्रशिक्षण दिया जाय।

सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के परिवहन विभागों में सचिवों को भेजे जाने वाले एक अर्ध-शासकीय पत्र का मसौदा तैयार कीजिए जिसमें टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों के लिए व्यवहारात्मक कौशलों पर ज़िला स्तरीय आज्ञापक कार्यशालाएं आयोजित करने का सुझाव दिया गया हो। कार्यशाला में भागीदारी, वाणिज्यिक लाइसेंसों के जारी करने और वार्षिक फिटनेस प्रमाणपत्रों को प्रदान करने की एक पूर्वपिक्षा बना दी जानी चाहिए।

15

Serial No.

A-TP/MEDF-M-C

टिप्पणी और मसौदा लेखन, सार लेखन

समय : तीन घंटे

पूर्णक : 200

अनुदेश

प्रश्नों के उत्तर देने से पहले कृपया निम्न में से प्रत्येक अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें।

छ: प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापे गए हैं।

प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 एवं 5 अनिवार्य हैं।

प्रश्न संख्या 6 के छ: भाग हैं, जिनमें से चार भाग करने हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक प्रश्न के अंत में दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। प्रवेश-पत्र पर उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

जहाँ भी प्रश्नों में विनिर्दिष्ट हो, शब्द सीमा का पालन करें।

उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए पृष्ठ या पृष्ठ के भागों को सफाई से काट दें।

टिप्पणी : आपका तथा आपके कार्यालय का नाम, अनुक्रमांक अथवा पता प्रश्नों के उत्तर लिखते समय अज्ञात रहना चाहिए।

अगर आवश्यक हो तो उपर्युक्त के लिए XXXXX या YYYYY या ZZZZZ इत्यादि का उपयोग करें।

Note : English version of the Instructions is printed on the front cover of this question paper.